



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. एचआरएम -I/ए-11(1)/2025/एसीसी/716

दिनांक: 01/08/2025

कार्यालय आदेश

विषय: अपर के.भ.नि.आ के पद पर तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13ए में पदोन्नति के संबंध में।

अपर के.भ.नि.आ के पद पर पदोन्नति के लिए दिनांक 12.02.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर, माननीय अध्यक्ष, कें.न्य.बो., क.भ.नि., पैनल वर्ष 2025 के लिए तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13ए में अपर के.भ.नि.आ के पद पर श्री अवधेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 की नियुक्ति को सहर्ष मंजूरी देते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति पर, अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थान पर यथावत बने रहेंगे। तदर्थ पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। अधिकारी का तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

3. पदोन्नति, सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध, सीलबंद लिफाफे के मामलों के निपटारे या ग्रेड में नियमित रिक्तियों के उत्पन्न होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर की जाएगी। यदि किसी अधिकारी, जिसकी सिफारिश सीलबंद लिफाफे में है, को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है और अधिकारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में, यदि कोई हो प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि उस अधिकारी के स्थान पर कोई रिक्ति नहीं है, तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को वापस कर दिया जाएगा।

4. वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा: "ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी रुकावट के नियमित नियुक्ति होती है, यह विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तारीख से स्वीकार्य है, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाना है।"

5. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और इससे उन्हें न तो नियमित आधार पर पदोन्नति का दावा करने का अधिकार मिलेगा, न ही वरिष्ठता का।

6. श्री अवधेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 की तदर्थ आधार पर अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से rc1.hrm@epfindia.gov.in पर एच आर एम, मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)

सेवा में,

1. सभी संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि:(संबंधित क.भ.नि.सं.वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष कें.न्य.बो.,क.भ.नि. के निजी सचिव।
2. सचिव,श्रम एवं रोजगार के प्रधान निजी सचिव।
3. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
4. वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/अपर.कें.भ.नि.आ.(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अपर.कें.भ.नि.आ, मुख्यालय और अंचल/मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्र.भ.नि.आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय/ क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी)।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)